

सम्पत्ति कर स्व-निर्धारण प्रपत्र
(अधिनियम की धारा 207क)

मुल्य 10/-

क

- (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
- (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....
- (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या.....
- (चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
- (पांच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता.....
- (छ) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....
- (सात) भवन स्वामी का ई-मेल पता.....

टिप्पणी:- जिन्हे नगर निगम द्वारा कोई भवन नम्बर आवंटित नहीं है "नया मकान" दर्ज करें तथा सम्बन्धित अभिलेख व चौहददी का विवरण संलग्न करें.....

ख निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा

- (एक) समस्त कमरों एवं अच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....
- (दो) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डारगृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....
- (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)

टिप्पणी:- स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र फुट कारपेट ऐरिया का भाग नहीं होगा।

- (ग) भवन का कारपेट ऐरिया :- (ख) का विवरण क्षेत्रफल आकलन हेतु.....
- (एक) कमरे का पूर्ण माप
- (दो) समस्त कारीडोर, रसोई, भण्डारगृह का 1/2
- (तीन) गैराज का अन्तरिक आयाम का 1/4 भाग
- (एक) + दो का 1/2 + तीन का 1/4

- (घ) (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में).....
- (दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में).....

- (ङ) (क) भवन अवस्थित है:-
- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

- (ख) भवन के निर्माण की प्रकृति:-
- (एक) पक्का भवन, आर0सी0सी0छत या आर0बी0 छत सहित
- (दो) अन्य पक्का भवन
- (तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में अच्छादित नहीं है

- (ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है:-
- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग

टिप्पणी:-कृपया उपर्युक्त (एक)(दो) या (तीन) के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें।

(घ) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें.....
 टिप्पणी:- यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे "खाली"उल्लिखित किया जायेगा।

छ भवन के निर्माण का वर्ष:-

ज (एक) कलैक्टर/मुख्य नगर अधिकारी द्वारा भवन के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर रुपये.....
 प्रति वर्ग फुट

(दो) कलैक्टर/मुख्य नगर अधिकारी द्वारा भूमि के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो, रुपये.....प्रति वर्ग फुट

झ (एक) भवन का वार्षिक मूल्य = $12 \times (\text{मुख्य नगर अधिकारी}) / \text{कलैक्टर द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर} \times \text{भवन का आच्छेद क्षेत्र} = 12 \times (\text{ज}) (\text{एक}) \times (\text{ग})$

या

(दो) $12 \times \text{मुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित किराये का न्यूनतम मासिक दर} \times \text{आच्छादित क्षेत्र} \times 80$ प्रतिशत भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = $12 \times (\text{मुख्य नगर अधिकारी}) / \text{कलैक्टर द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर} \times \text{भूमि का क्षेत्रफल} = 12 \times \text{ज} (\text{दो}) \times \text{घ} (\text{दो})$

ञ (एक) स्वामी द्वारा अध्यासित होने की दशा में भवन का मूल्य, धारा 174(2)(क) में यथा उल्लिखित घूट देने के परचात।

(दो) किराये पर होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य धारा 174(2)(ख) में यथा उल्लिखित वृद्धि के परचात।

ट (एक) भवन का सामान्य कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य \times सामान्य कर दर / 100

(दो) भवन का जलकर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य \times की जलकर दर / 100

(तीन) भवन का जल निस्तारण कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य \times की जल निस्तारण दर / 100

(चार) भवन की स्वच्छता कर = में यथा अवधारित वार्षिक मूल्य \times स्वच्छता कर की दर / 100

ठ भूमि पर सामान्य कर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = झ (दो) में यथा उल्लिखित वार्षिक मूल्य \times सामान्य कर दर / 100

ड मुख्य नगर अधिकारी द्वारा कर जमा करने के लिए निर्धारित नियत दिनांक

ढ जमा किये गये कर का विवरण:-

क्रम संख्या	कर	राशि	दिनांक	चालान संख्या	बैंक का नाम
	सामान्य कर/भवन कर				

ण (एक) नगर निगम बैंक एकाउन्ट संख्या 0070104000264709 / 78269256

(दो) बैंक शाखा का नाम IFSC Code: IBKL0000070 IDBI Rajpur Road, Dehradun.

(तीन) भवन स्वामी का बैंक एकाउन्ट संख्या

(चार) बैंक शाखा का नाम

जिसमें भवन स्वामी का एकाउण्ट है सम्पूर्ण विवरण हेतु नगर निगम की वेबसाइट देखें

www.nagarnigamdehradun.com, Email:- nagar_nigam2008@yahoo.com

संलग्नक

1 खतोनी, विक्रयपत्र, दानपत्र, पट्टामिलेख, वारिसान आदि.....

2 एमडीडीए द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति।.....

टिप्पणी:- धरे गये प्रश्नों की जाँच में यदि विवरण सही नहीं पाया गया हो देपुकर के अन्दर का चार गुना जाली के रूप में आरोपित किया जायेगा।

सत्यापन

मैं एतद द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्योरे, जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, ठीक और पूर्ण है।

हस्ताक्षर

स्थायी पता

दिनांक

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर

नाम

पिता-माता का नाम

पूरा पता.....

अभिस्वीकृति

जिस व्यक्ति से प्रपत्र क प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिये गये है।

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....

(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या.....

(चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....

(पांच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता.....

(एक) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कर अधीक्षक

अपर मुख्य नगर अधिकारी

मुख्य नगर अधिकारी

प्रपत्र - ख(नियम-3 देखें)

भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिए

- क
- (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
- (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....
- (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या.....
- (चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
- (पांच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता.....
- (छ) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....

टिप्पणी:- जिन्हे नगर निगम द्वारा कोई भवन नम्बर आवंटित नहीं है " नया मकान " दर्ज करें तथा सम्बन्धित अनिलेख व चौहददी का विवरण संलग्न करें.....

ख निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी व्यौरा:-

- (एक) समस्त कमरों एवं आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्ग फूट में).....
- (दो) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डारगृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फूट में).....
- (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्ग फूट में).....

टिप्पणी:-स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग भवन का कारपेट एरिया:-

$$= \text{ख(एक)} + 1/2 \text{ ख (दो)} + 1/4 \text{ ख (तीन)}$$

- (घ) (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फूट में).....
- (दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फूट में).....
- (ङ) (क) भवन अवस्थित है:-

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति

- (एक) पक्का भवन, आर0 सी0 सी0 छत या आर0 बी0 छत सहित
- (दो) अन्य पक्का भवन
- (तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवनजो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है।

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग

टिप्पणी : कृपया उपयुक्त(एक)(दो) या तीन के खाने में जो भी हो उसमें सही का निशान लगायें।

घ भवन या भूमि स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें।

टिप्पणी : यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे "खाली" उल्लिखित किया जायेगा।

छ भवन के निर्माण का वर्ष.....

सत्यापन

मैं एतद्वारा घोषित करता / करती हूँ कि इस प्रारूप में प्रस्तुत किये गये व्यौरे जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, ठीक और पूर्ण है।

हस्ताक्षर

स्थायी पता

दिनांक

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर

नाम

पिता—माता का नाम

पूरा पता.....

अभिस्वीकृति

जिस व्यक्ति से प्रपत्र ख प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिये गये है।

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम

(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या

(चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता

(पांच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता

(एक) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम पदनाम

कर अधीक्षक

अपर मुख्य नगर अधिकारी

मुख्य नगर अधिकारी

कैसे करें स्वकर निर्धारण

1. भवन की आन्तरिक माप (कारपेट एरिया) जिसकी गणना की जायेगी—
 - (क) कुल कमरों के कारपेट एरिया की सम्पूर्ण माप।
 - (ख) किचन, बालकनी, कारीडोर के कारपेट एरिया का $1/2$ माप (आधा)।
 - (ग) गैराज के कुल कारपेट एरिया का $1/4$ माप (एक चौथाई माप)।
 - (घ) कवर्ड बरामदा के कारपेट एरिया का पूर्ण माप।
2. शौचालय, स्नानागार सीढ़ी से आच्छादित क्षेत्र, पोर्टिको का एरिया नहीं जुड़ेगा।
3. कर की गणना—

कुल कारपेट एरिया \times मासिक कारपेट रेट $\times 12$ माह = वार्षिक मूल्यांकन
4. छूट की गणना— उपरोक्तानुसार प्राप्त वार्षिक मूल्यांकन पर निम्नानुसार छूट देय होगी।
 - (क) अवधारित वार्षिक मूल्यांकन से 10 वर्ष की अवधि तक 25 प्रतिशत।
 - (ख) अवधारित वार्षिक मूल्यांकन से 10 वर्ष से 20 वर्ष तक 32.5 प्रतिशत।
 - (ग) अवधारित वार्षिक मूल्यांकन से 20 वर्ष से अधिक पुराना है तो 40 प्रतिशत।
5. किराये पर उठाये गये अवासीय भवन के मामले में अवधारित वार्षिक मूल्यांकन से—
 - (क) यदि भवन 10 वर्ष तक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा।
 - (ख) यदि वह 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत समझा जायेगा।
 - (ग) यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना है तो उसका वार्षिक मूल्य उपधारा(1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

रसीद

- (1) स्वामी/अध्यासी का नाम
 - (2) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम
 - (3) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या —
 - (4) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता —
 - (5) स्वामी
 - (6) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता—
- भवन सं० का सरल कर प्रपत्र 'क' 'ख' भवन स्वामी/अध्यासी के द्वारा भवन का क्षेत्रफल/कारपेट प्रस्तुत किया गया, जो वार्ड सं० मौहल्ला में स्थित है के सरल कर प्राप्ति रजिस्टर में क्रमांक पर दर्ज है।

दिनांक

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

रसीद

- (1) स्वामी/अध्यासी का नाम
 - (2) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम
 - (3) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या —
 - (4) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता —
 - (5) स्वामी
 - (6) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता—
- भवन सं० का सरल कर प्रपत्र 'क' 'ख' भवन स्वामी/अध्यासी के द्वारा भवन का क्षेत्रफल/कारपेट प्रस्तुत किया गया, जो वार्ड सं० मौहल्ला में स्थित है के सरल कर प्राप्ति रजिस्टर में क्रमांक पर दर्ज है।

दिनांक

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम